# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**बिरधा बनाम शान्ति देवी**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 781/2025<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई \| अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित \| रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित \| अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी \| पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |
| 06/04/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई \| संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, राजस्व नक्शा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम ज्वालिनी, पटवार हल्का माधोगढ़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तुंगा, तहसील तुंगा, जिला जयपुर की सरहद में आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 798 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 800 रकवा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 838 क्षेत्रफल 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.33 हैक्टेयर स्थित है, जिस पर वादीगण/अपीलान्ट्स बहैसियत रेकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त के साबिका खसरा नम्बर 306 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा था जो वादीगण बिरधा पुत्र श्योनारायण, रामगोपाल पुत्र श्योनारायण, स्व. श्री रामपाल पुत्र श्योनारायण एंव स्व. श्री शकर पुत्र श्योनारायण ने अपने जीवनकाल में बरजी बेवा मादा जाति मीना सा देह ग्वालिनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 20.01.1964 को खरीद की थी। इससे पहले साबिका नम्बर खसरा नम्बर 646, 650, 651, 653 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा थे जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। इसी प्रकार ग्राम ग्वालिनी के राजस्व नक्शा जो वर्ष 1958 में बनाया गया था, उसमें इन खसरा नम्बर 646, 650, 651, 653 का अंकन मौजूद है । प्रतिवादीगण/रस्पोंडेंट का वादीगण/अपीलान्ट्स की उक्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 306 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा से कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है। वादीगण/अपीलान्ट्स अपने मनबंट एंव हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर बहैसियत रेकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त व निवास करते आ रहे है। प्रतिवादीगण / रेस्पोंडेंटस की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 796 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 797 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 801 रकबा 0.09 हैक्टेयर के साबिका खसरा नम्बर 307 रकबा 2 बीघा रहे हैं जिसके साबिका खसरा नम्बर 639 रकबा 3 बिस्वा, 640 रकबा 19 बिस्वा, 631 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 40 बिस्वा अर्थात 2 बीघा है। प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट संख्या 9 द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 796,<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | बिरधा बनाम शान्ति देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 781/2025 | | |

797, 801 की 1 बीघा भूमि का दिनांक 08.07.2023 को कब्जा प्राप्त करने के गैर कानूनी प्रयास पर व पटवारी हल्का द्वारा रिकार्ड के अध्ययन पर यह ज्ञात हुआ कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण की भूमियों के वर्तमान राजस्व नक्शें में गंभीर विसंगति हैं क्यूंकि वादीगण तथा प्रतिवादीगण सन 1958 के राजस्व नक्शें के मुताबिक भूमि पर काबिज काश्त है जबकि साबिका राजस्व नक्शा सन 1958 के मुताबिक वादीगण/अपीलान्ट्स के खेतो के खसरा नम्बर एक जगह पास-पास अंकित इन्द्राज किये हुये है परन्तु वर्तमान नये नक्शे बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलत एन्ट्री इन्द्राज कर दिया गया जहां वादीगण के खेतो की जमीन व खसरा नम्बर की भूमि पुराने नक्शे में दर्शाये हुए है, उनमें से खसरा नम्बर 831 व 832 की गलत एन्ट्री इन्द्राज प्रतिवादीगण / रेस्पोंडेंटस संख्या 1 लगायत 9 की भूमि जो वादीगण/अपीलान्ट्स की भूमि से दूर स्थित है, वहां कर दी गई तथा इस प्रकार वादीगण/अपीलान्ट्स की खेतो की जमीन जो पुराने नक्शे में एक साथ दर्शायी हुई है वहां प्रतिवादीगण/रस्पोंडेंटस संख्या 1 लगायत 9 की भूमि के खसरा नम्बर 796, 797, 801 वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत एन्ट्री इन्द्राज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाकर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि के खसरा नम्बर 831 व 832 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर अर्थात 2 बीघा 1.6 बिस्वा का वर्तमान राजस्व नक्शा में दुसरी जगह राजस्व कर्मचारी ने सहवन से जो गलत अंकन व इन्द्राज कर दिया है, उसे वर्ष 1958 पुराने राजस्व नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे ग्राम ग्वालिनी को दुरूस्त किया जावें एवं राजस्व नक्शे एवं ग्राम ग्वालिनी के सन् 1958 पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार एवं वर्तमान कब्जे के अनुसार दुरुस्त या अंकन ठीक किया जाता है तो चालू वर्तमान जमाबन्दी में भी कोई इबारत एन्ट्री अंकन दुरुस्त किया जाना आवश्यक हो तो उसे भी दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या 9 द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि के वर्तमान राजस्व नक्शे को पुराने राजस्व नक्शे सं 1958 के अनुसार शुद्ध करने का निवेदन किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2025 पारित करते हुये वादीगण का दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, राजस्व नक्शा व जमाबन्दी एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रतिवादी संख्या 9 का काउन्टर क्लेम ख़ारिज फरमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | बिरधा बनाम शान्ति देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 781/2025 | |

दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर